

SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No : 840184231222025418

Date : 23-12-2022

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री MR PRAKASH MANDAL S/O Kshirod Chandra Mandal,

मोहल्ला babu tola SARAIKELA

Seraikella -kharswan ,833219

6204608082

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0070000482000M0 वार्ड सं 7 हुआ है। आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु* निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	77.00
2.	जल कर	0.00
3.	शांखालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		77.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- 1 कर निर्धारण की सूची SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- 2 नियमावली कंडीका 11.4 के अंतर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायगा जो सम्पत्ती कर का 50% होगा।
हिदायत दी जाती है कि वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- 3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ती कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- 4 यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण भूखण्ड कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- 5 किसी देय धुति को निर्दिष्ट समावर्धि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- 6 गृह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं जांच गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- 7 SARAIKELA NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ती कर इन इमरतों/दावों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपन मालिकों/दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- 8 अगर आपके नवे हॉलिंग नओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.